छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 473/2006</u>

श्री संजय जैन,
ब्यूरो चीफ स्वदेश,
कचहरी चौक, सदर बाजार,
धमतरी (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, नगरी,
जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 27 नवम्बर 2006)

श्री संजय जैन, निवासी–धमतरी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा आवेदन दिनांक 02–03–2006 के द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सूचना अधिकारी), जनपद पंचायत, नगरी, जिला–धमतरी से शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियों से संबंधित नियुक्त लोगों के द्वारा प्रस्तुत किये गये संपूर्ण दस्तावेज की छायाप्रति चाही थी। दिनांक 31–03–2006 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सूचना अधिकारी), जनपद पंचायत के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि संबंधित दस्तावेजों का शुल्क 500/– रूपए जमा किया जावे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा पुनः 22–04–2006 को सूचित किया गया कि जानकारी तैयार है राशि जमाकर जानकारी प्राप्त करें। दिनांक 27–04–2006 को आवेदक की उपस्थिति के पश्चात् भी उसे जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 05–06–2006 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा पुनः आवेदक को सूचित किया गया कि जानकारी तैयार कर रखी गई है, नियमानुसार शुल्क अदाकर जानकारी प्राप्त की जावे। बाद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पत्र दिनांक 15–06–2006 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया कि वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित है तथा उनकी सहमति के बगैर जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। आवेदक ने आयोग को दिनांक 10–07–2006 के पत्र द्वारा शिकायत की।

2/ आयोग के द्वारा अनावेदक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। आवेदक के द्वारा यह बतलाये जाने पर कि उसे अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, आयोग ने 15 दिन में निःशुल्क जानकारी आवेदक को प्रदान करने के संबंध में अनावेदक को निर्देश दिये तथा विलम्ब के लिए तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री पी.आर.साहू को 10,000/– रूपए की शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। दिनांक 10–11–2006 को शिकायतकर्ता तत्कालीन जन सूचना अधिकारी श्री पी.आर.साहू एवं वर्तमान जन सूचना अधिकारी श्री आर.के.शर्मा, मुख्य कार्यपालन

अधिकारी, नगरी उपस्थित हुए। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया तथा अभिलेख प्रस्तुत किये।

3/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक के द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि उसे पूर्व में दस्तावेज तैयार होने की सूचना देने के पश्चात् भी दस्तावेज नहीं दिये गये तथा प्रतिपक्ष का बहाना बनाकर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये। अतः अनावेदकों पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। अनावेदक श्री पी0 आर0 साहू ने अपने जवाब में बतलाया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में आवेदक को नियमानुसार अभिलेख शुल्क जमा करने हेतु सूचित किया गया। उन्हें स्मरण–पत्र भी भेजे गये, किन्तु उनके द्वारा राशि जमा नहीं की गई। दो बार स्मरण कराने के पश्चात् भी आवेदक के द्वारा राशि जमा नहीं की गई और न ही आवेदक उपस्थित हुए। चूँकि यह स्पष्ट होने पर कि शिक्षा कर्मियों की भरती हेतु दिये गये आवेदन–पत्रों में आवेदकों ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी दी है, यह जानकारी तृतीय पक्ष की होने के फलस्वरूप संबंधित चयनीत शिक्षाकर्मियों को नोटिस जारी किया गया कि वे आवेदक को जानकारी दिये जाने के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें। श्री पी0 आर0 साहू के द्वारा संबंधित शिक्षाकर्मियों को भेजे गये पत्र की छायाप्रति भी प्रस्तुत की गई तथा आवेदक को भी इस संबंध में सूचित किया गया कि नियुक्त शिक्षा कर्मियों के व्यक्तिगत अभिलेखों को छोड़कर शेष जानकारी वे उपस्थित होकर प्राप्त कर लें। अनावेदक श्री पी0 आर0 साहू का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप तथा तृतीय पक्ष की सहमति प्राप्त न होने के कारण आवेदक को पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की जा सकी। वर्तमान जन सूचना अधिकारी श्री आर0 के0 शर्मा द्वारा बतलाया गया कि आवेदक को सूचना देने के पश्चात् भी आवेदक जानकारी प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा आयोग के निर्देशानुसार बाद में उन्हें 703 पेज की जानकारी निःशुल्क प्रदान की गई। प्रस्तुत अभिलेखों से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। यह स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त होने के बाद भी अभिलेख शुल्क अग्रिम जमा नहीं किया गया। दो बार स्मरण–पत्र देने के पश्चात् भी आवेदक ने अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि सूचना अधिकारी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश आवेदक को जानकारी दिये जाने में विलम्ब नहीं किया है अथवा जानकारी प्रदान नहीं की है। अभिलेख शुल्क नियमानुसार जन सूचना अधिकारी के द्वारा जमा करने हेतु सूचित किया गया, किन्तु आवेदक के द्वारा अभिलेख शुल्क जमा नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने जन सूचना अधिकारी के द्वारा अभिलेख शुल्क की मांग करने पर अपीलीय अधिकारी को भी कोई अपील प्रस्तुत नहीं की और न ही गणना के संबंध में कोई आपत्ति की। श्री पी0 आर0 साहू के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि शिक्षाकर्मी की भर्ती से संबंधित विज्ञापन स्वदेश समाचार–पत्र में प्रकाशन हेतु नहीं दिये जाने के कारण आवेदक जो कि स्वदेश समाचार–पत्र का स्थानीय प्रतिनिधि है, व्यक्तिगत हितों के कारण शिकायत की। उसने यह भी उल्लेख किया कि आवेदक ने बिना मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहमति के दैनिक समाचार–पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर रूपए 4290/– का देयक प्रस्तुत किया तथा इसके भुगतान न किये जाने पर शिकायत की।

4/ प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री पी0 आर0 साहू, तत्कालीन जन सूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। उनके द्वारा आवेदक को शुल्क जमा करने के लिए पत्र भी भेजा गया। आवेदक का यह तर्क कि वह शुल्क जमा करने गया, किन्तु शुल्क लेने से इंकार कर दिया गया, यह मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवेदक को शुल्क लेने से इंकार करने पर वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करना था अथवा शुल्क चालान से भी जमा कर सकता था। श्री पी0 आर0 साहू सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जानकारी न देने अथवा विलम्ब से देने के लिए दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी आवेदक को निर्धारित अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए नोटिस दिया, इसके पश्चात् भी आवेदक ने निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया। आयोग के निर्देशानुसार आवेदक को निःशुल्क जानकारी प्रदान की। अतः वर्तमान जन सूचना अधिकारी भी विलम्ब से जानकारी देने के लिए दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध भी अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का आधार नहीं है।

5/ आवेदक को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। आवेदक की शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त